न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **246 / 2024** **अन्तर्गत धारा** 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
अलाबक्स पुत्र ईस्माइल जाति मुसलमान, निवासी निम्बलानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1 पुरखाराम पुत्र लिछमणाराम जाति जाट निवासी बायतु पनजी, तहसील बायतु, जिला बालोतरा 2 तगाराम पुत्र कानाराम 3 हनुमानराम पुत्र कानाराम 4 हरखुदेवी पत्नी कानाराम 5 फुलीदेवी पत्नी लालाराम जाति जाट, निवासी मेराजाणियों की ढाणी, बाटाडू तहसील बायतु, जिला बालोतरा 6 जालुराम पुत्र हुकमाराम 7 मूलाराम पुत्र हुकमाराम 8 चेनाराम पुत्र रूगनाथ 9 पोकरराम पुत्र रूगनाथ 10 झीमों पत्नी रूगनाथ 11 धाईदेवी पत्नी गेनाराम 12 रामाराम दत्तक पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी बाटाडू, तहसील बायतु, जिला बालोतरा 13 कानाराम पुत्र हजारीराम जाति ब्राहम्ण निवासी बाटाडू, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर 14 दिनेश कुमार पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 15 शोभा पुत्र ईस्माइल 16 हाकम पुत्र ईस्माइल 17 जुला पुत्र ईस्माइल जाति मुसलमान निवासी निम्बलानाडा, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 18 तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री ईश्वरसिंह भाटी।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 13 – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 11.03.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा निम्बलानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 269 / 112 रकबा 12.9175 हैक्टेयर आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के मौजा गोकला बस्ती, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 393 रकबा 6.4507 हैक्टेयर तथा मौजा नीम्बलानाडा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 113, 223 / 113, 222 / 113, 221 / 113, 268 / 112, 312 / 268, 271 / 112, 270 / 112 रकबा क्रमशः 6.0946, 6.0541, 6.0541, 6.0541, 3.5450, 2.9134, 12.9175, 12.9175 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थी क[illegible] 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थी उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने [illegible] क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थी का निवेदन है [illegible] बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आ[illegible]वे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.24 19:16:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई [illegible]क्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 17 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 270 / 112 रकबा 12.9175 हैक्टेयर में से रकबा 0.1052 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 16 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 271 / 112 रकबा 12.9175 हैक्टेयर में से रकबा 0.1052 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 14 के खातेदारी खसरा नम्बर 312 / 268 रकबा 2.9137

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

हैक्टेयर में से रकबा 0.0647 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 14 व 15 के खातेदारी खसरा नम्बर 268/112 रकबा 3.5450 हैक्टेयर में से रकबा 0.0566 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 13 के खातेदारी खसरा नम्बर 221/113 रकबा 6.0541 हैक्टेयर में से रकबा 0.0971 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 8 से 12 के खातेदारी खसरा नम्बर 222/113 रकबा 6.0541 हैक्टेयर में से रकबा 0.1375 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 6 व 7 के खातेदारी खसरा नम्बर 223/113 रकबा 6.0541 हैक्टेयर में से रकबा 0.1052 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 से 5 के खातेदारी खसरा नम्बर 113 रकबा 6.0946 हैक्टेयर में से रकबा 0.0890 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खसरा नम्बर 393/307 रकबा 6.4507 हैक्टेयर में से रकबा 0.0890 हैक्टेयर भूमि उपयोग मे ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 701 गट्ठा तथा चौड़ाई 03 गट्ठा है। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है तथा मौके पर चलायमान है। विप्रार्थी संख्या 13 के जवाब हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया तथा शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम, लघुतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 13 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता सेढे पर एक ही खातेदारी में प्रस्तावित किया गया है, जबकि सेढे से लगायत दोनो खातेदारी खसरा नम्बर से नियमानुसार रास्ता प्रस्तावित किया जा सकता है। अतः मौका रिपोर्ट एकतरफा बनाई हुई होने से प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 17 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 270/112 रकबा 12.9175 हैक्टेयर में से रकबा 0.1052 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 16 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 271/112 रकबा 12.9175 हैक्टेयर में से रकबा 0.1052 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 14 के खातेदारी खसरा नम्बर 312/268 रकबा 2.9137 हैक्टेयर में से रकबा 0.0647 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 14 व 15 के खातेदारी खसरा नम्बर 268/112 रकबा 3.5450 हैक्टेयर में से रकबा 0.0566 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 13 के खातेदारी खसरा नम्बर 221/113 रकबा 6.0541 हैक्टेयर में से रकबा 0.0971 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 8 से 12 के खातेदारी खसरा नम्बर 222/113 रकबा 6.0541 हैक्टेयर में से रकबा 0.1375 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 6 व 7 के खातेदारी खसरा नम्बर 223/113 रकबा 6.0541 हैक्टेयर में से रकबा 0.1052 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 से 5 के खातेदारी खसरा नम्बर 113 रकबा 6.0946 हैक्टेयर में से रकबा 0. 0890 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खसरा नम्बर 393/307 रकबा 6.4507 हैक्टेयर में से रकबा 0.0890 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 701 गट्ठा तथा चौड़ाई 03 गट्ठा है। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है तथा मौके पर चलायमान है। विप्रार्थी संख्या 13 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थी के आवागमन हेतु एकतरफा तथा केवल प्रार्थी की खातेदारी से ही रास्ता प्रस्तावित करने पर आपत्ति की गई है। चूंकि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका में उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प [illegible] स्पष्ट अंकन किया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम है तथा मौ[illegible]न होने से धारा 251 ए के प्रावधानों को पूरा करता है।प्रार्थी अधिव[illegible] संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता कटाण बाबत [illegible] प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की आत्यातिक आवश्यकता होने एवं निकटतम [illegible] रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थ[illegible]रा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.24 19:16:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा निम्बलानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 269/112 रकबा 12.9175 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार मौजा निम्बलानाडा के विप्रार्थी संख्या 17 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 270/112 रकबा 12.9175 हैक्टेयर में से रकबा 0.1052 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 16 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 271/112 रकबा 12.9175 हैक्टेयर में से रकबा 0.1052 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 14 के खातेदारी खसरा नम्बर 312/268 रकबा 2.9137 हैक्टेयर में से रकबा 0.0647 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 14 व 15 के खातेदारी खसरा नम्बर 268/112 रकबा 3.5450 हैक्टेयर में से रकबा 0.0566 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 13 के खातेदारी खसरा नम्बर 221/113 रकबा 6.0541 हैक्टेयर में से रकबा 0.0971 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 8 से 12 के खातेदारी खसरा नम्बर 222/113 रकबा 6.0541 हैक्टेयर में से रकबा 0.1375 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 6 व 7 के खातेदारी खसरा नम्बर 223/113 रकबा 6.0541 हैक्टेयर में से रकबा 0.1052 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 से 5 के खातेदारी खसरा नम्बर 113 रकबा 6.0946 हैक्टेयर में से रकबा 0.0890 हैक्टेयर तथा मौजा गोकला बस्ती, तहसील शिव के विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खसरा नम्बर 393/307 रकबा 6.4507 हैक्टेयर में से रकबा 0.0890 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.24 19:16:00 IST
Reason: SelfAttested